[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून, 2018

अधिसूचना सं. 52/2018- सीमाशुल्क (गै.टे)

का.आ. (अ)- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना स. 62/1994-सीमाशुल्क (गै.टे), दिनांक 21 नवंबर, 1994 जो कि का.आ. सं. 829 (अ), दिनांक 21 नवंबर 1994 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, में, एततद्वारा, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित क्रम संख्या 8 के सामने, कॉलम (3) तथा (4) में, मद (17) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को शामिल किया जाएगा, यथा-

1	2	3	4
		" (18) करांजा टर्मिनल	आयातित वस्तुओं को उतारना तथा निर्यात वस्तुओं या इसी प्रकार के किसी भी सामान की लदाई करना।"

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार

[फा.सं. 574/04/2017-एलसी]

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना, भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 21 नवंबर 1994 की अधिसूचना सं. 62/94-सीमाशुल्क (गै.टे) के अंतर्गत दिनांक 21 नवंबर 1994 की का.आ. 829 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और इसमें, दिनांक 11 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 44/2017-सीमाशुल्क गै.टे., जो कि दिनांक 11 मई, 2017 को का.आ. 1511 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी, के अंतर्गत अंतिम बार संशोधन किया गया था।